न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक)
इटावा जिला कोटा

मिसल नं. :- 41/2020 तारीख दायरा :-20.10.2020 तारीख फैसला :- 17/9/21

पीठासीन अधिकारी-- श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1. दिलीप कुमार मीना पुत्र श्री रामदयाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

— वादी

बनाम

1. गोरधनी पुत्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. चतररेखा पुत्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. चमेली बाई पत्नि रामदयाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. राजेन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
5. रामप्रताप पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
6. रामरेखा पुत्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
7. रामराज पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
8. शिवराज पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा ,88, 89 आर0 टी0एक्ट

—: निर्णय :—

संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि:—

1. यह कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबंदी संवत 2073-2076 की खाता संख्या नयी 123 व पुरानी 51 की ख0न0 324 रकबा 0.06 हैक्टेयर, ख0न0 346 रकबा 0.67 हैक्टेयर, ख0न0 348 रकबा 0.06 हैक्टेयर, ख0न0 349 रकबा 0.56 हैक्टेयर, ख0न0 351 रकबा 2.51 हैक्टेयर, ख0न0 489 रकबा 2.14 हैक्टेयर, ख0न0 559 रकबा 0.69

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर, ख0न0 608 रकबा 2.34 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल 8.83 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा निहित है जिसे वाद पत्र में आगे कि मदो में

2 यह कि विवादित आराजी वादी के संयुक्त खाते व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें वादी का नाम नाबालिक बबलू पुत्र रामदयाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि वादी के बचपन का नाम है किन्तु बाद के अन्य रिकॉर्ड यथा प्रशासनिक स्कूल, राशनकार्ड आधार कार्ड आदि मे वादी का नाम दिलीप कुमार पुत्र रामदयाल दर्ज है दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्वक दिलीप कुमार पुत्र रामदयाल के स्थान पर बबलू पुत्र रामदयाल दर्ज हो रहा है। वादी के दो भिन्न भिन्न रिकॉर्ड व नाम हो जाने के कारण वादी को कृषि विकास कार्यों को करवाने बैक लोन आदि लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादी को दिलीप कुमार पुत्र रामदयाल के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार है।

3 यह कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिक बबलू पुत्र रामदयाल है वादी की जन्मतिथि 20.08.1993 है इस प्रकार वादी की उम्र 27 वर्ष है जो कि बालिग हो चुका है इस कारण वादी को नाबालिक के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में बालिग करवाने का वादी को अधिकार है।

4 यह कि वादी का नाम दिलीप कुमार पुत्र रामदयाल के स्थान पर बबलू पुत्र रामदयाल हो जाने के कारण व वादी नाबालिक दर्ज होने के कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने प्रतिवादी क्रम 9 से कई बार निवेदन किया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया टालमटोल किया उन्होने कोई कार्यवाही नही की तथा दिनाक 27.09.2020 को अन्तिम बार निवेदन करने पर प्रतिवादी क्रम 9 द्वारा सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया इस कारण वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है।

5 यह कि वाद कारण विवादित आराजी मे वादी द्वारा दिनांक 27.09.2020 को प्रतिवादी से वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन करने व नाबालिक को बालिक दर्ज करवाने का निवेदन करने तथा प्रतिवादी क्रम 9 द्वारा विवादित आराजी मे वादी का नाम व नाबालिक को बालिग करने से इन्कार करने व सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करने हेतु आदेशित करने पर उत्पन्न हुआ है।

6 यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को संयुक्त खातेदार होने के कारण वाद मे पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

7 यह कि राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी को नोटिस मियादी 2 माह को देना अनिवार्य है लेकिन वादी का नाम दुरूस्त नही होने व रिकार्ड मे नाबालिक दर्ज होने के कारण वादी को अनेक प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड रहा है। इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष पृथक से 80(2)सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. यह कि विवादित आराजी ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबदी संवत 2073-2076 की खाता संख्या नयी 123 व पुरानी 51 की ख0न0 324 रकबा 0.06

न्यायिक मजिस्ट्रेट

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर, ख0न0 346 रकबा 0.67 हैक्टेयर, ख0न0 348 रकबा 0.06 हैक्टेयर, ख0न0 349 रकबा 0.56 हैक्टेयर, ख0न0 351 रकबा 2.51 हैक्टेयर, ख0न0 489 रकबा 2.14 हैक्टेयर, ख0न0 559 रकबा 0.69 हैक्टेयर, ख0न0 608 रकबा 2.34 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल 8.83 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम दिलीप कुमार दर्ज किया जावें तथा वादी को दिलीप कुमार के नाम से खातेदार कृषक घोषित किय जावे। वादी को उक्त आराजी में नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। दिनांक 13.01.2020 को प्रतिवादीगण 1 ता 8 की ओर से श्री पृथ्वीराज वैष्णव द्वारा वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। दिनांक 20.07.2021 को प्रतिवादी कम 9 की ओर से भी जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र निवेदन किया कि वाद पत्र की मद सं 1 राजस्व रेकार्ड अनुसार स्वीकार है।

वाद पत्र की मद सं. 2 स्वीकार है क्योकी वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में नाबालिक बबलू आ0 रामदयाल दर्ज है किन्तु वादी का असल नाम दिलीप कुमार आ0 रामदयाल है। प्रतिवादीगण 1 ता 8 द्वारा वाद पत्र की सभी मदो को स्वीकार कर निवेदन किया की मुताबिक वादपत्र वाद डिकी किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। वाद पत्र डिकी फरमाया जावे।

प्रतिवादी कम 9 तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात राशनकार्ड,आधारकार्ड,मतदाता पहचान पत्र, अंक तालिका,भामाशाह कार्ड में प्राथी का नाम दिलीप कुमार पुत्र रामदयाल है तथा प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र मे जन्म तिथि दिनांक 20.08.1993 दर्ज है। जिसके अनुसार प्रार्थी वर्तमान में बालिग हो चुका है। पटवारी हल्का की जॉच के बाद पाया गया कि दिलीप कुमार पुत्र रामदयाल व बबलू पुत्र रामदयाल एक ही व्यक्ति है जबकि उसका वास्तविक नाम दिलीप कुमार पुत्र रामदयाल जाति मीणा होना जानकारी में आया है।

अतः ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में बबलू का नाम विलोपित करने के स्थान पर खाते में नाबालिग बबलू के स्थान पर दिलीप उर्फ बबलू पुत्र रामदयाल दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। दिनांक 26.07.2021 को साक्ष्यवादी में पीडबल्यू–1 (दिलीप) पीडबल्यू–2 (शिवराज) पीडबल्यू–3 (सुरेक्ष) के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये। साक्ष्यवादी में ओर कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने से साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। वकील प्रतिवादी द्वारा द्वारा NO Objection कर साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करना अवगत करवाया। अतः साक्ष्य प्रतिवादी भी बंद कर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई । वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र अनुसार वाद डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वाद पत्र में संलग्न राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2073–76,ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, अंकतालिका, आधारकार्ड,जवाबदावा ,जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। पत्रावली का गहन अध्ययन व अवलोकन तथा तहसीलदार पीपल्दा से प्राप्त जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रस्तुत वाद पत्र में नाबालिग वादी को बालिग दर्ज एवं राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम मे त्रुटि सुधार किया जाना न्यायोचित है।

...हायक कलेक्... ...पालक मं...
...खा... ...टा

Scanned with CamScanner

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। माल ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा भू0अ0निरीक्षक विनायका तहसील पीपल्दा की जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या नयी 123 व पुरानी 51 की ख0न0 324 रकबा 0.06 हैक्टेयर, ख0न0 346 रकबा 0.67 हैक्टेयर, ख0न0 348 रकबा 0.06 हैक्टेयर, ख0न0 349 रकबा 0.56 हैक्टेयर, ख0न0 351 रकबा 2.51 हैक्टेयर, ख0न0 489 रकबा 2.14 हैक्टेयर, ख0न0 559 रकबा 0.69 हैक्टेयर, ख0न0 608 रकबा 2.34 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल 8.83 हैक्टेयर विवादित भूमि मे वादी का नाम नाबालिक बबलु पुत्र रामदयाल के स्थान पर दिलीप कुमार पुत्र रामदयाल जाति मीना साकिन देह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करते हुए हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर डिकी मुर्तिब की जावे। यदि विवादित आराजीयात् पर रहनभार है तो यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक ......17/9/21...... को खुले इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक), इटावा

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

मिसल नं. :– 41/2020 तारीख दायरा :–20.10.2020 तारीख फैसला :– 17/9/21

पीठासीन अधिकारी– श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1. दिलीप कुमार मीना पुत्र श्री रामदयाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– वादी

बनाम

1. गोरधनी पुत्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. चतररेखा पुत्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. चमेली बाई पत्नि रामदयाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. राजेन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
5. रामप्रताप पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
6. रामरेखा पुत्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
7. रामराज पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
8. शिवराज पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण –
श्री इन्द्रजीत मीणा– वकील वादीगण
श्री पृथ्वीराज वैष्णव, वकील प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री गिरिराज कुशवाह मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है। माल ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा भू0अ0निरीक्षक विनायका तहसील पीपल्दा की जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या नयी 123 व पुरानी 51 की ख0न0 324 रकबा 0.06 हैक्टेयर, ख0न0 346 रकबा 0.67 हैक्टेयर, ख0न0 348 रकबा 0.06 हैक्टेयर, ख0न0 349 रकबा 0.56 हैक्टेयर, ख0न0 351 रकबा 2.51 हैक्टेयर, ख0न0 489 रकबा 2.14 हैक्टेयर, ख0न0 559 रकबा 0.69 हैक्टेयर, ख0न0 608 रकबा 2.34

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे बहाजिरी मिनजानिब [illegible]दई रूबरू श्री गिरिराज कुशवाह मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी [illegible]कार किया जाता है। माल ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा भू0अ0निरीक्षक [illegible]नायका तहसील पीपल्दा की जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या नयी 123 व पुरानी 51 की ख0न0 324 रकबा 0.06 हैक्टेयर, ख0न0 346 रकवा 0.67 हैक्टेयर, ख0न0 348 रकबा 0.06 हैक्टेयर, ख0न0 349 रकवा 0.56 हैक्टेयर, ख0न0 351 रकवा 2.51 हैक्टेयर, ख0न0 489 रकबा 2.14 हैक्टेयर, ख0न0 559 रकबा 0.69 हैक्टेयर, ख0न0 608 रकवा 2.34 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल 8.83 हैक्टेयर विवादित भूमि मे वादी का नाम नाबालिक बबलु पुत्र रामदयाल के स्थान पर दिलीप कुमार पुत्र रामदयाल जाति मीना साकिन देह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करते हुए हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर डिकी मुर्तिब की जाती है।

नोटः–यदि विवादित आराजीयात् पर रहनभार है तो यथावत रहेगा।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
वाबत इजराय हुक्मनामा			वाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(रामावतार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) इटावा

Scanned with CamScanner